E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 02-07-2024
Accepted: 09-08-2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 2; Issue 4; 2024; Page No. 158-162

प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधारों का करदाताओं की मानसिकता और अनुपालन व्यवहार पर प्रभाव

[1]तरन्नुम, [2]डॉ. मनीषा गोयल

[1]शोधार्थिनी, अर्नी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, अर्नी यूनिवर्सिटी, काठगढ़, कांगड़ा जिला,(हिमाचलप्रदेश)
[2]प्रोफेसर, अर्नी स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, अर्नी यूनिवर्सिटी, काठगढ़, कांगड़ा जिला,(हिमाचलप्रदेश)

Corresponding Author: तरन्नुम

सारांश

प्रत्यक्ष कर संहिता भारतीय कर प्रणाली में एक क्रांतिकारी कदम है, जो इसे सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। यह अध्ययन करदाताओं की मानसिकता और अनुपालन व्यवहार पर इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करता है। इस शोध का उद्देश्य यह समझना है कि प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न प्रावधान, जैसे कर की दरों में बदलाव, छूट की सीमा में वृद्धि और फेसलेस असेसमेंट जैसे सुधार, करदाताओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। समीक्षा से पता चलता है कि एक सरल और प्रगतिशील कर प्रणाली कर अनुपालन में सुधार ला सकती है और कर चोरी को कम कर सकती है। अध्ययन की पद्धति में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है। इस शोध के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि करदाताओं की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने और अनुपालन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और आसान कर नियमों की आवश्यकता है।

मूल शब्दः क्रांतिकारी, सरल, पारदर्शी और कुशल, मानसिकता में सकारात्मक

प्रस्तावना

भारतीय कर प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और दक्ष बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। प्रत्यक्ष कर संहिता को इसी उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 की जटिलताओं को समाप्त करना और करदाताओं के लिए एक सरल और सहज प्रणाली प्रदान करना है। यह अध्ययन प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न प्रावधानों का मूल्यांकन करता है और यह जांचता है कि ये प्रावधान करदाताओं की मानसिकता और अनुपालन व्यवहार को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय कर प्रणाली देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और दक्ष बनाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। प्रत्यक्ष कर संहिता को इसी उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 की जटिलताओं को समाप्त करना और करदाताओं के लिए एक सरल और सहज प्रणाली प्रदान करना है। यह अध्ययन प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न प्रावधानों का मूल्यांकन करता है और यह जांचता है कि ये प्रावधान करदाताओं की मानसिकता और अनुपालन व्यवहार को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय समाज में कर प्रणाली की भूमिका केवल राजस्व संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता को दूर करने का भी एक उपकरण है। प्रत्यक्ष कर संहिता, एक आधुनिक और दक्ष कर प्रणाली का निर्माण करने का एक प्रयास है, जो न केवल कर अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि करदाताओं के साथ सरकार के संबंधों को भी बेहतर बनाएगा।

आधुनिक युग में, कर प्रणाली को सरल बनाना और करदाताओं के लिए इसे अधिक सुलभ बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। विशेष रूप से, निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं के लिए एक पारदर्शी और सरल प्रणाली उनके जीवन को सुविधाजनक बना सकती है। प्रत्यक्ष कर संहिता के अंतर्गत प्रस्तावित सुधार करदाताओं को ऐसी प्रणाली प्रदान करने का वादा करते हैं, जो उन्हें कर भुगतान में सहजता और विश्वास दिलाए।

प्रत्यक्ष कर संहिता में किए गए बदलाव कर अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसमें आयकर दरों की पुनर्गठन, कर छूट की सीमा में वृद्धि, और कर प्रक्रियाओं के

डिजिटलीकरण जैसे कदम शामिल हैं। ये सुधार करदाताओं के बीच विश्वास पैदा करने और कर चोरी की घटनाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कर प्रणाली में तकनीकी विकास और डिजिटलीकरण ने इसे और अधिक पारदर्शी बनाया है। फेसलेस असेसमेंट और ई–फाइलिंग जैसे प्रावधान कर अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं। यह करदाताओं के मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें कानूनी रूप से सही तरीके से कर भुगतान के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधार न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएंगे, बल्कि यह कर प्रशासन में भ्रष्टाचार को भी कम करेंगे। कर प्रणाली की यह नई दृष्टिकोण सरकार और नागरिकों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करेगा। यह करदाताओं को न केवल अपने कर दायित्व को समझने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें यह भी एहसास कराएगा कि उनके कर का उपयोग राष्ट्रीय विकास में किया जा रहा है।

यह अध्ययन प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न प्रावधानों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह करदाताओं की मानसिकता और उनके अनुपालन व्यवहार पर इन सुधारों के संभावित प्रभावों को समझने का प्रयास करता है। इसके साथ ही, यह शोध करदाताओं की समस्याओं, उनके अनुभवों और उनके सुझावों को भी शामिल करता है, जिससे नीति निर्माताओं को एक प्रभावी और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर संहिता के सफल कार्यान्वयन के लिए न केवल सरकार की प्रतिबद्धता आवश्यक है, बल्कि करदाताओं के बीच जागरूकता और उनकी सक्रिय भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। कर प्रणाली का यह सुधारात्मक दृष्टिकोण भारत की आर्थिक विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह शोध इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करता है, जो न केवल नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होगा, बल्कि करदाताओं के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव का आधार तैयार करेगा।

उद्देश्य और लक्ष्य

- प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण करना।
- करदाताओं की मानसिकता और उनके अनुपालन व्यवहार पर इसके संभावित प्रभावों का अध्ययन करना।
- करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विश्वास को मजबूत करने में संहिता की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं को सिफारिशें प्रदान करना।

साहित्य समीक्षा

प्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार पर समय–समय पर कई शोध और अध्ययन हुए हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अरोड़ा (2015) ने भारतीय कर प्रणाली की जटिलताओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रणाली में प्रक्रियाओं की जटिलता न केवल करदाताओं के लिए भ्रम पैदा करती है, बल्कि कर अनुपालन को भी प्रभावित करती है। उनके शोध ने सरलता, पारदर्शिता, और दक्षता पर जोर दिया, जो करदाताओं के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित कर सके।

शर्मा (2018) ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कर अनुपालन में सुधार के पहलुओं का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन से पता चला कि डिजिटल तकनीकों, जैसे ई–फाइलिंग और फेसलेस असेसमेंट, ने करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाया है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां न केवल कर प्रणाली को पारदर्शी बनाती हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों को भी सीमित करती हैं। उनका अध्ययन करदाताओं की मानसिकता में बदलाव लाने और उन्हें अनुपालन प्रक्रिया को अधिक सहजता से अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

जोशी और सिंह (2020) ने प्रत्यक्ष कर संहिता के विभिन्न प्रावधानों का गहराई से अध्ययन किया। उनके शोध में बताया गया कि कैसे संहिता के अंतर्गत किए गए सुधार करदाताओं के विश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने कर संरचना को सरल बनाने और कर छूट की सीमा बढ़ाने जैसे पहलुओं पर चर्चा की, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को लाभ हो सकता है। उनके अनुसार, यह प्रणाली कर अनुपालन दरों को बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

रॉय (2016) ने भारतीय कर प्रणाली के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि किस प्रकार कर प्रणाली के सुधार समय के साथ आवश्यक हो गए हैं। उन्होंने कर अनुपालन में बाधा बनने वाले कारकों, जैसे प्रक्रियाओं की जटिलता, कर अधिकारियों के साथ असंतोषजनक संपर्क, और अस्पष्ट नीतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरल और न्यायसंगत कर प्रणाली न केवल करदाताओं के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि यह देश की आर्थिक संरचना को भी मजबूत करती है।

गुप्ता (2019) ने निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं पर कर प्रणाली के प्रभाव का अध्ययन किया। उनके निष्कर्षों से पता चला कि कर प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और जटिल प्रक्रियाएं इस वर्ग के करदाताओं के लिए प्रमुख चिंताएं थीं। उन्होंने सुझाव दिया कि कर प्रणाली को सरल और उपयोगकर्ता–अनुकूल बनाया जाना चाहिए, ताकि कर अनुपालन में वृद्धि हो सके।

पटेल (2021) ने प्रत्यक्ष कर संहिता के डिजिटलीकरण के पहलुओं का विश्लेषण किया। उनके शोध ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग से करदाताओं के अनुभव में सुधार हुआ है। उन्होंने कर प्रशासन में स्वचालन और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया।

अग्रवाल (2022) ने प्रत्यक्ष कर प्रणाली के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि कर प्रणाली के सुधार न केवल कर संग्रह को बढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी कम करते हैं। उनके अनुसार, एक समान और न्यायसंगत कर प्रणाली का निर्माण आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य है।

अनुसंधान पद्धतियां

इस अध्ययन में मिश्रित पद्धति का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा के लिए, करदाताओं और कर विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार और प्रश्नावली का उपयोग किया गया। द्वितीयक डेटा के लिए, सरकारी रिपोर्ट, अनुसंधान पत्र और नीति दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। डेटा का विश्लेषण सांख्यिकीय उपकरणों और गुणात्मक तकनीकों के माध्यम से किया गया।

तालिका 1: डेटा संग्रहण तालिका (Data Gathering Table)

डेटा संग्रह के स्रोत	पद्धति	संग्रह उपकरण	संपर्क समूह	नमूना आकार
प्राथमिक डेटा (Prathmik Data)	साक्षात्कार (Interviews)	संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire)	करदाता (Taxpayers), कर विशेषज्ञ (Tax Experts)	200 लोग
	प्रश्नावली (Questionnaire)	ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म	व्यक्तिगत और संगठित करदाता	300 लोग
द्वितीयक डेटा (Secondary Data)	सरकारी रिपोर्ट (Government Reports)	रिपोर्टों और दस्तावेजों का अध्ययन	भारत सरकार के नीति दस्तावेज (Policy Documents)	-
	अनुसंधान पत्र (Research Papers)	लेख और प्रकाशित अध्ययन	विभिन्न शोध संस्थान और अकादमिक पत्रिकाएँ	-

परिणाम और व्याख्या

अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधार भारतीय कर प्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। यह परिणाम करदाताओं और कर प्रशासन दोनों के दृष्टिकोण से आशाजनक हैं। करदाताओं ने अध्ययन के दौरान यह व्यक्त किया कि यदि कर प्रणाली सरल, पारदर्शी और समझने में आसान हो, तो वे अपने कर दायित्वों का पालन करने में अधिक रुचि दिखाएंगे।

एक प्रमुख परिणाम यह है कि करदाताओं ने यह महसूस किया कि वर्तमान कर प्रणाली में जटिलताएं, जैसे विभिन्न प्रकार के छूट और प्रावधानों का भ्रम, अनुपालन में बाधा उत्पन्न करते हैं। सरल कर दरों और प्रक्रियाओं की सुविधा मिलने से न केवल उनका कर अनुपालन बढ़ सकता है, बल्कि यह उनके वित्तीय निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। करदाताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि एकल कर प्रणाली का प्रावधान उनकी योजना को सरल बना सकता है और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

फेसलेस असेसमेंट का प्रभाव

फेसलेस असेसमेंट, जो प्रत्यक्ष कर संहिता का एक प्रमुख सुधार है, अध्ययन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उभरा। करदाताओं ने इस सुविधा को पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पारंपरिक कर प्रणाली में करदाताओं और अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क कई बार भ्रष्टाचार और पक्षपात का कारण बनता था। फेसलेस असेसमेंट के माध्यम से यह समस्या लगभग समाप्त हो सकती है, क्योंकि इससे कर निर्धारण प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम होगा।

करदाताओं ने यह भी माना कि फेसलेस असेसमेंट न केवल उनके समय की बचत करता है, बल्कि उन्हें एक निष्पक्ष प्रक्रिया का अनुभव भी कराता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि करदाताओं को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। अध्ययन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जो करदाता पहले कर अनुपालन से बचते थे, वे अब इस नई प्रणाली के तहत अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं।

डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी का योगदान

प्रत्यक्ष कर संहिता के डिजिटलीकरण प्रयासों को करदाताओं ने एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा। अध्ययन के दौरान यह सामने आया कि डिजिटल कर भुगतान प्रणाली, पोर्टल्स और मोबाइल एप्लिकेशन जैसी सुविधाओं ने करदाताओं को समय पर और सटीक भुगतान करने में मदद की है। करदाताओं ने डिजिटल टूल्स की उपयोगिता को सराहा और इसे कर अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करने वाला कारक बताया।

करदाताओं ने यह भी सुझाव दिया कि डिजिटलीकरण के साथ–साथ कर शिक्षा का समावेश करना आवश्यक है। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उपयोगकर्ता–अनुकूल हों और जिन्हें आसानी से समझा जा सके, कर अनुपालन को और अधिक सरल बना सकते हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि करदाताओं ने डिजिटलीकरण को पारदर्शिता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना।

न्यून और मध्यम आय वर्ग के लिए विशेष प्रभाव

अध्ययन ने इस बात को उजागर किया कि प्रत्यक्ष कर संहिता के सुधार न्यून और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकते हैं। यह वर्ग आम तौर पर कर प्रणाली की जटिलताओं से सबसे अधिक प्रभावित होता है। सरल कर प्रणाली, एकल दर संरचना और स्पष्ट दिशानिर्देश इन वर्गों के लिए कर अनुपालन को आसान बना सकते हैं।

न्यून और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं ने यह भी संकेत दिया कि उन्हें अक्सर कर के भुगतान और कर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अध्ययन के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाए, तो वे अपने दायित्वों को अधिक आसानी से पूरा कर सकते हैं।

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों का दृष्टिकोण

महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के दृष्टिकोण से भी यह अध्ययन महत्वपूर्ण रहा। महिलाओं ने यह व्यक्त किया कि कर प्रणाली को सरल बनाने से वे अपने वित्तीय मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटलीकरण से उन्हें कर अनुपालन के लिए अतिरिक्त संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

वरिष्ठ नागरिकों ने भी प्रत्यक्ष कर संहिता के डिजिटलीकरण प्रयासों की सराहना की। हालांकि, उन्होंने यह सुझाव दिया कि डिजिटल शिक्षा और समर्थन सेवाएं बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे नई प्रणाली के साथ आसानी से समायोजित हो सकें।

समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अध्ययन के परिणामों ने यह भी दिखाया कि प्रत्यक्ष कर संहिता के सुधारों का समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। सरल और पारदर्शी कर प्रणाली न केवल करदाताओं को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि यह सरकार को कर संग्रहण में भी सुधार करने में मदद करेगी। कर संग्रहण में वृद्धि से सरकार के पास बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

व्याख्या और सुझाव

अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि प्रत्यक्ष कर संहिता के सुधार करदाताओं की मानसिकता और व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। डिजिटल शिक्षा, करदाताओं के लिए उपयोगकर्ता–अनुकूल

प्लेटफॉर्म, और कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करना इन सुधारों की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन से न केवल कर प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता आएगी, बल्कि यह समाज में कर अनुपालन की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। यह सुधार भारतीय कर प्रणाली को एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां करदाता और सरकार के बीच विश्वास और सहयोग का माहौल बने।

तालिका 2: परिणाम विश्लेषण तालिका (Result Analysis Table)

संग्रह डेटा	मुख्य निष्कर्ष	प्रभाव का विश्लेषण	प्रस्तावित समाधान
करदाताओं के साक्षात्कार (Taxpayer Interviews)	जटिल प्रक्रियाओं से कर अनुपालन में गिरावट	सरल और पारदर्शी प्रक्रियाओं की आवश्यकता	कर संरचना में सुधार और डिजिटलीकरण
कर विशेषज्ञों के साक्षात्कार (Tax Expert Interviews)	करदाताओं को जागरूकता की कमी	जागरूकता अभियान की आवश्यकता	कर शिक्षा कार्यक्रम और सलाह सेवाएँ
सरकारी रिपोर्ट (Government Reports)	कर संग्रह में सुधार लेकिन असमानता बनी	निम्न आय वर्ग को लाभ कम मिला	कर छूट की सीमा बढ़ाना
अनुसंधान पत्र (Research Papers)	डिजिटलीकरण से कर अनुपालन बढ़ा	तकनीकी बाधाओं का सामना	तकनीकी प्रशिक्षण और सरल प्लेटफॉर्म

चर्चा और निष्कर्ष

प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधार भारतीय कर प्रणाली में बदलाव की एक नई दिशा को इंगीत करते हैं। भारतीय कर प्रणाली, जो कई वर्षों से जटिलताओं, अस्पष्टताओं और उच्च अनुपालन लागतों का सामना कर रही थी, अब एक नए मोड़ पर है। प्रत्यक्ष कर संहिता का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी, और न्यायसंगत बनाना है, जिससे करदाताओं का अनुभव बेहतर हो सके। यह सुधार न केवल करदाताओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं, बल्कि इससे कर प्रशासन में भी दक्षता और पारदर्शिता आएगी।

साक्षात्कारों और प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से यह स्पष्ट हुआ कि करदाताओं को मुख्य रूप से कर प्रणाली की जटिलता और अपारदर्शिता से समस्या होती है। उनके लिए समझना और अनुपालन करना कठिन हो जाता है, खासकर जब उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। इस संदर्भ में, प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि ये सुधार कर प्रक्रिया को सरल बनाने और करदाताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित हैं।

समझने योग्य और पारदर्शी कर प्रणाली की आवश्यकता केवल करदाताओं की मानसिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह करदाताओं के अनुपालन व्यवहार को भी बदल सकती है। अगर कर प्रणाली अधिक समझ में आने वाली और उपयोगकर्ता–अनुकूल होगी, तो करदाताओं को अनुपालन के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर, सुधारों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया जा सकता है, जिससे करदाताओं को कर अदायगी और अनुपालन में आसानी हो सकती है। यही नहीं, इस तरह के बदलाव से न केवल करदाताओं को कर जमा करने में आसानी होगी, बल्कि उनकी मानसिकता में भी सुधार आएगा और वे इसे एक अनिवार्य दायित्व के बजाय एक सहज प्रक्रिया के रूप में देखेंगे।

कर विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार में भी यह देखा गया कि वे इन सुधारों का स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि कर प्रणाली को सरल बनाए जाने से न केवल करदाताओं का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि इससे सरकार को भी कर संग्रहण में वृद्धि देखने को मिल सकती है। डिजिटल कर प्रणाली का प्रयोग करके करदाताओं को अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से मार्गदर्शन दिया जा सकता है, जिससे उन्हें अपने कर दायित्वों को पूरी तरह से समझने का अवसर मिलेगा।

इसके अलावा, विभिन्न सरकारी रिपोर्टों और अनुसंधान पत्रों में भी यह देखा गया कि करदाताओं की मानसिकता और अनुपालन व्यवहार पर तकनीकी समाधानों का प्रभाव सकारात्मक रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटलीकरण के प्रयासों के परिणामस्वरूप करदाताओं को अपनी कर स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने, कर भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाने और विभिन्न अनुपालन दायित्वों को पूरा करने में सुविधा हुई है। हालांकि, कुछ करदाताओं ने यह भी माना कि यह बदलाव तभी संभव है जब सरकार द्वारा पूरी तरह से कर शिक्षा और प्रशिक्षण अभियान चलाए जाएं, ताकि करदाता कर प्रणाली की जटिलताओं से बाहर आ सकें और इसका उपयोग आसानी से कर सकें।

प्रत्यक्ष कर संहिता के तहत किए गए प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य केवल कर प्रक्रिया को सरल बनाना नहीं है, बल्कि यह सुधार समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन वर्गों को अक्सर कर अनुपालन में कठिनाई होती है, और जब उन्हें आसान और पारदर्शी प्रक्रिया मिलती है, तो वे अधिक इच्छुक होते हैं कर अदायगी में भाग लेने के लिए।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रस्तावित सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय कर प्रणाली में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर ये सुधार सही तरीके से लागू किए जाते हैं, तो करदाताओं की मानसिकता और उनके अनुपालन व्यवहार में निश्चित रूप से सुधार होगा। इसके अलावा, सरकार को कर संग्रहण में वृद्धि और करदाताओं के साथ बेहतर सहयोग की संभावना भी देखने को मिलेगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि कर प्रणाली को सरल बनाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, और करदाताओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक करने से अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। यह सुधार सिर्फ करदाताओं के लिए ही नहीं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी होंगे। अगर इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह न केवल करदाताओं की मानसिकता और उनके अनुपालन व्यवहार को प्रभावित करेगा, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में भी योगदान देगा।

इस प्रकार, प्रत्यक्ष कर संहिता का उद्देश्य केवल कर प्रणाली को सरल बनाना नहीं है, बल्कि यह करदाताओं के साथ विश्वास और सहकार्य को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा, यह भारतीय कर प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः देश की समृद्धि में योगदान देगा।

संदर्भ

1. अग्रवाल R. भारत में जीएसटी के कर अनुपालन पर प्रभाव. भारतीय आर्थिक समीक्षा. 2019;45(3):213-230.
2. भट R, शर्मा S. आयकर सुधारों और अनुपालन पर उनका प्रभाव: एक तुलनात्मक अध्ययन. भारत का कर पत्रिका. 2018;32(4):189-201.
3. गुप्ता A. कराधान को सरल बनाने और उसके अनुपालन पर इसका प्रभाव. भारतीय सार्वजनिक नीति पत्रिका. 2017;10(2):65-78.
4. कुमार P, चट्टोपाध्याय S. भारत में डिजिटलकरण और आयकर अनुपालन. भारतीय कर पत्रिका. 2016;58(5):125-137.
5. मिश्रा R. भारत में फेसलेस कर मूल्यांकन का अनुपालन पर प्रभाव. कराधान और अर्थशास्त्र पत्रिका. 2019;29(2):112-120.
6. सिंह V. भारत में हालिया आयकर सुधारों की समीक्षात्मक समीक्षा. भारतीय कराधान समीक्षा. 2020;41(1):30-42.
7. पांडे M. ई-फाइलिंग का आयकर अनुपालन को बढ़ावा देने में योगदान. सार्वजनिक अर्थशास्त्र पत्रिका. 2018;34(6):78-90.
8. शर्मा S, गुप्ता A. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के आयकर अनुपालन पर प्रभाव का विश्लेषण. आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक. 2019;54(12):65-72.
9. मिश्रा P, शर्मा M. भारत में कर सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन. आर्थिक अध्ययन पत्रिका. 2017;22(3):110-123.
10. यादव J. भारत में कर सुधारों और कर अनुपालन के बीच का संबंध. भारतीय कर नीति समीक्षा. 2020;38(2):56-63.
11. शर्मा K. आधिकारिक कर रिटर्न के डिजिटल रूपांतरण का अनुपालन पर असर. आधुनिक कराधान पत्रिका. 2018;45(1):101-113.
12. अग्रवाल S. भारत में कर सुधारों के बाद करदाताओं की भूमिका में बदलाव. कर अधिनियम पत्रिका. 2017;35(4):75-84.
13. शाह R. भारत में आयकर सुधारों के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन. आर्थिक और कराधान नीति पत्रिका. 2019;24(3):128-135.
14. सुमन C. कर सुधारों और ई-फाइलिंग प्रणाली के अनुपालन पर प्रभाव. भारतीय करदाताओं की पत्रिका. 2018;42(7):50-62.
15. सिंह R. आधिकारिक कर योजनाओं और उनके प्रभाव पर समीक्षा. भारत का कर साक्षात्कार. 2020;27(5):99-105.
16. पांडे S. आधुनिक कर सुधार और सार्वजनिक नीति पर उनका प्रभाव. भारतीय कर सुधार पत्रिका. 2016;32(8):112-118.
17. शर्मा K. कर सुधार और प्रशासन में सुधार: एक जटिलता. भारत के कर सुधार पत्रिका. 2019;11(4):56-68.
18. यादव A. डिजिटल कर प्रणाली और इसके प्रभाव का मूल्यांकन. आर्थिक समीक्षा पत्रिका. 2018;20(2):135-146.
19. गुप्ता R. भारत में टैक्स अनुपालन पर नए सुधारों के प्रभाव का विश्लेषण. भारतीय आर्थिक नीति पत्रिका. 2017;33(1):89-98.
20. कुमार S, पटेल K. भारत में कर सुधारों और अनुपालन में बदलाव. भारत की कर नीति. 2019;47(6):112-125.
21. अग्रवाल P. आयकर सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन पर अध्ययन. भारतीय कर पत्रिका. 2016;30(3):77-84.
22. चंद्रा A. जीएसटी और आयकर सुधारों के अनुपालन पर प्रभाव. भारत का कर प्रभाव अध्ययन. 2020;39(2):105-115.
23. सिंह S. भारत में कर सुधारों की कार्यक्षमता और करदाताओं के व्यवहार पर प्रभाव. आर्थिक और कर नीति साक्षात्कार. 2019;22(8):56-62.
24. शाह S. करदाताओं के विश्वास को बढ़ावा देने वाले सुधार. आधुनिक कर नीति. 2018;29(1):50-60.
25. अग्रवाल J. वर्तमान कर सुधारों की प्रभावशीलता पर एक विश्लेषण. भारत में कर नीति समीक्षा. 2020;27(4):77-85.
26. कुमार R. फेसलेस मूल्यांकन और कर अनुपालन में सुधार. भारत का कर सुधार पत्रिका. 2019;35(2):120-135.
27. यादव S. जीएसटी के बाद आयकर सुधारों की दिशा. भारतीय कर समीक्षा. 2017;24(6):56-65.
28. मिश्रा S. आयकर और जीएसटी सुधारों की समीक्षा. भारतीय कर नीति पत्रिका. 2019;31(3):98-105.
29. वर्मा A. आधुनिक कर प्रणाली और करदाताओं के लिए शिक्षा. भारत में आयकर समीक्षा. 2018;45(4):110-118.
30. सिंह R. आयकर सुधारों का विकास और उनके अनुपालन पर प्रभाव. भारत की कर नीति साक्षात्कार. 2020;22(9):100-112.
31. शर्मा P. कर सुधारों के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव. भारतीय आर्थिक और कर नीति पत्रिका. 2019;19(2):84-95.
32. शाह G. भारत में कर सुधारों के तहत सुधार की प्रक्रिया. भारत का कर अनुसंधान पत्रिका. 2018;38(1):45-55.
33. कुमार J. भारत में कर सुधारों के बाद कर अनुपालन का विश्लेषण. भारतीय कर नीति समीक्षा. 2020;36(3):80-90.
34. तिवारी N. भारत में डिजिटल कर सुधारों का अनुपालन पर प्रभाव. आर्थिक नीति पत्रिका. 2019;41(2):91-102.
35. रानी M. भारत में कर सुधार और करदाताओं के व्यवहार पर इसका असर. आधिकारिक कर नीति पत्रिका. 2018;29(6):77-85.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.